न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 805–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–2–2012 पारित द्वारा न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5(1)/2011–12/474.

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज जिला रायसेन
द्वारा अधिकृत प्रस्तुतकार महेश बत्रा
पिता श्री आर.डी. बत्रा
निवासी पवार साहब की बगिया,
माण्डरे की माता के पास, लश्कर, ग्वालियर

................अपीलार्थी

विरूद्ध

जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी
जिला शिवपुरी म0प्र0

...................प्रत्यर्थी

....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी,
श्री बी0एन0 त्यागी, पैनल अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3 मार्च 2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी आबकारी आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा नाहरलागुन (अरूणाचलप्रदेश) को विदेशी मदिरा माल परिवहन से सम्बन्धित प्रकरण में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27–2–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला आबकारी अधिकारी, शिवपुरी ने पत्र क्रमांक आब0/अप./2011/585 दिनांक 29–4–2011 के अनुसार मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज जिला रायसेन से परमिट कमांक ए 13205/11–12 दिनांक 26–4–2011 से सुपर मास्टर व्हिस्की 600 पेटी पावों के (प्रत्येक पेटी में 48 पाव) ट्रक कमांक एम.पी. 13

द्वारा अरु नाहरलागुन (अरुणाचलप्रदेश) भेजी जाना बताया गया था।

जी.ए. 1207 पुलिस थाना दिनारा जिला शिवपुरी द्वारा दिनांक 27–8–2011 की रात को वाहन चैकिंग के दौरान शिवपुरी झांसी हाइवे से पिछोर जा रहे ट्रक को चैक करने पर वाहन के साथ सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, के मुनीम द्वारा मदिरा का परिवहन परमिट पेश किया जिसमें मदिरा ले जाने का मार्ग रायसेन से पटना, सिलीगुडी दिसपुर तथा नाहरलागुन अंकित होना पाया गया। परमिट पर दिनारा–पिछोर मार्ग का उल्लेख नहीं होने के कारण उक्त विदेशी मदिरा 600 पेटी को मय ट्रक सहित जप्त कर प्रकरण कमांक 111/11 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस संबंध में संविदाकार/निगरानीकर्ता मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा0लि0 सेहतगंज, जिला–रायसेन को उक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(4)/2011–12/2004 दिनांक 10–6–2011 के जरिये कारण बताओ नोटिस दिया गया। उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर इकाई द्वारा दिनांक 13–7–2011 को प्रस्तुत किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने से आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा दिनांक 27–2–2012 के द्वारा सोम डिस्टलरीज लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश विदेश मदिरा नियम 1996 में वर्णित एफ.एल.–9 लायसेंस की शर्त कमांक 13 का उल्लंघन पाते हुये नियम 12(1) के अन्तर्गत अर्थदण्ड रुपये 50,000/–(पचास हजार रुपये) शास्ति आरोपित की। आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

4/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में वही बिन्दु उठाये जो निगरानी मेमो में उल्लिखित हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक अभिभाषक ने तर्क में कहा कि आवेदक इकाई को कार्यालयीन पत्र कमांक ए 13205/11–12 दिनांक 26–4–2011 से अरूणाचलप्रदेश (नाहरलागुन) के लिए विदेश मदिरा निर्यात हेतु परिवहन मार्ग झांसी, पटना सिलीगुढी दिसपुर, नाहरलागुन अनुमोदित किया गया था इसी के आधार पर आवेदक इकाई द्वारा सुपर मास्टर व्हिस्की के पावों की 600 पेटी में 48 पाव 180 एम0एल0 जो वाहन कमांक एम0पी0

13 जी0ए0 1207 द्वारा समय रात्रि दिनांक 26—4—2011 को नाहरलागुन के लिए रवाना की गई, परन्तु वाहनचालक उक्त वाहन को शिवपुरी—झांसी मार्ग छोड़कर दिनारा—शिवपुरी मार्ग पर ले गया इसमें वाहन चालक का ही दोष है इसके लिए इकाई को दोषी नहीं माना जा सकता। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक इकाई को सुनवाई का अवसर दिये बिना आबकारी आयुक्त ने शास्ति अधिरोपित करने में त्रुटि की है, जबकि एक्साईज एक्ट की धारा 31 में इकाई को बिना सुनवाई का अवसर दिये किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया वह अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाये।

5/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आबकारी आयुक्त के पत्र कमांक 5(4)/2011—12/2004 दिनांक 10—6—2011 के जरिये कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था जिसका जबाव दिनांक 13—7—11 को प्रस्तुत किया गया। अतः आवेदक इकाई को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया यह मान्य नहीं किया जा सकता। आबकारी आयुक्त ने दिनांक 27—2—2012 को अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद 50,000/— शास्ती आरोपित करने का आदेश पारित किया गया, जो विधि अनुकूल है। यह भी तर्क दिया कि आवेदक इकाई सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड को आबकारी आयुक्त की ओर से अरूणाचलप्रदेश (नाहरलागुन) के लिए विदेश मदिरा निर्यात हेतु परिवहन मार्ग झांसी, पटना सिलीगुढी दिसपुर, नाहरलागुन अनुमोदित किया गया था, परन्तु आवेदक इकाई का उक्त ट्रक दिनारा—पिछोर मार्ग पर जप्त किया गया तथा धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण कमांक 111/11 पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा दायर एफ0आई0आर एवं साक्ष्यीयों के कथन भी लिये गये। मैसर्स डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन (अपीलांट) द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश विदेश मदिरा नियम 1996 में वर्णित एफ.एल.—9 लायसेंस की शर्त कमांक 13 का उल्लंघन पाया जो नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय है। अतः

आबकारी आयुक्त द्वारा पूर्ण विचारोपरांत उपरोक्त अनियमितता के लिये रूपये 50,000/– (पचास हजार) शास्ति आरोपित की गई। जो विधिअनुसार उचित है। प्रतिप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। आबकारी आयुक्त के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक इकाई द्वारा परमिट कमांक ए 13205/11–12 दिनांक 26–4–2011 से सुपर मास्टर व्हिस्की के पावों की 600 पेटी में 48 पाव 180 एम0एल0 जो वाहन कमांक एम0पी0 13 जी0ए0 1207 द्वारा नाहरलागुन (अरूणाचलप्रदेश) रवाना की गई थी। परमिट पर रायसेन से पटना, सिलीगुढ़ी, डिसपुर, नहारलागुन मार्ग अंकित था। आवेदक इकाई सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड को आबकारी आयुक्त की ओर से अरूणाचलप्रदेश (नाहरलागुन) के लिए विदेश मदिरा निर्यात हेतु परिवहन मार्ग झांसी, पटना सिलीगुढी दिसपुर, नाहरलागुन अनुमोदित किया गया था, परन्तु आवेदक इकाई का उक्त ट्रक दिनांक 28–4–11 को दिनारा–पिछोर मार्ग पर पुलिस द्वारा जांच के दौरान जप्त किया गया तथा धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण कमांक 111/11 पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा एफ0आई0आर दायर की गई एवं साक्ष्यीयों के कथन तथा पंचनामा भी किया गया। आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित मार्ग से हटकर ट्रक को भिन्न मार्ग पर ले जाते हुये जप्ती के कारण कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया, जिसका उत्तर समाधानकारक नहीं पाते हुये शास्ति अधिरोपित की। पुलिस द्वारा दायर एफ0आई0आर एवं साक्ष्यीयों के कथनों को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में गलत मानकर कोई आदेश पारित किया गया हो, इसकी भी जानकारी आवेदक इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर संदेह का कारण उत्पन्न नहीं होता। आवेदक इकाई का विदेशी मदिरा परिवहन करने वाला ट्रक अपने निर्धारित मार्ग से भिन्न मार्ग पर पाया गया यह बात आवेदक द्वारा भी स्वीकार की गई है। निर्धारित मार्ग

से भिन्न मार्ग पर परिवहन करना निर्धारित शर्तों का उल्लंघन है। म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 12(1) के अनुसार "इन नियमों में से किसी नियम या आबकारी अधिनियम 1915 के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिए 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहने की दशा में ऐसी और शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा भंग या उल्लंघन चालू रहता है, 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) से अनधिक की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।" अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है। इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्कों में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया इसलिए उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है। आबकारी आयुक्त द्वारा आवेदक इकाई को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया जिसका जबाव आवेदक इकाई द्वारा दिया गया है इसलिए यह मान्य नहीं किया जा सकता कि आवेदक इकाई को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में आवेदक इकाई पर शर्तों के उल्लंघन के कारण ही शास्ति अधिरोपित की गई जो वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 27–2–2012 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर